मूल्य 1 रूपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

वर्ष 58 | सितम्बर, 2013 | अंक 9

सभापति का पत्र :

अक्षमता को सब्सिडी, कृषि को नहीं।

भारत कृषक समाज काफी समय से अनाज की खरीद और भण्डारण के कार्य में भारतीय खाद्य निगम का एकाधिकार समाप्त करने के लिए सरकार से कहता आ रहा है। भारत कृषक समाज ने प्रारम्भ में प्रस्ताव रखा था कि निजी क्षेत्र की कम्पनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिन्सों की खरीद करने की अनुमति दी जाए और सरकार की निगरानी में इसका भण्डारण और इसे लाने ले जाने का कार्य होना चाहिए, यह कार्य उन केन्द्रों पर किया जा सकता है जहाँ पर भारतीय खाद्य निगम वर्तमान में सक्रिय नहीं है और निजी क्षेत्र इस कार्य को भारतीय खाद्य निगम के व्यय से 20 प्रतिशत कम में कर सकता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ गारंटी है जहाँ पर भारत सरकार जिन्सों के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से मूल्य नीचे जाने पर किसी भी जिन्स की खरीद करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। किन्तु गेहूँ और चावल जैसी फसलों को छोड़कर कुछ राज्यों के कुछ भागों में सरकार अपने इस वादे को पूरा नहीं कर पाई है।

हालाँकि किसान घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन की लागत की तुलना में अपर्याप्त पाते हैं तो भी जैसे है सरकार द्वारा घोषित मूल्य उन्हें मिलता है वे अपनी फसलों को किसी को भी बेच देते हैं। पिछले 30 वर्षों में पूरे भारत में मण्डियों या मार्किट यार्ड की संख्या नहीं बढ़ी है जबकि कुल फसल उत्पादन दो गुना से भी अधिक हो गया है।

भारतीय खाद्य निगम में अनाज की बोरियों को उठाकर ट्रक में डालने वाले को रू. 2,25,000/– मासिक का अधिकतम भुगतान होता है। भारतीय खाद्य निगम अपने ठेके के मजदूरों को बाजार में मिलने वाली मजदूरी से सात गुना अधिक वेतन देता है। इसके पश्चात् भी संगठित ट्रक उद्योग भारतीय खाद्य निगम के कार्य हेतु परिवहन की दरों में वृद्धि कर देते हैं, जिस कारण पिछले कई वर्षों से कई करोड़ रूपये का

अतिरिक्त भारतीय राजस्व दिया जा चुका है। इस असंगत लूट का प्रमुख कारण यह है कि भारतीय खाद्य निगम का एकाधिकार है किन्तु उसकी जिम्मेवारी अधिक नहीं है।

भारतीय कर दाता इय अयोग्यता व अक्षमता की कीमत चुका रहे हैं जिस कारण कृषि हेतु आर्थिक सहायता की लागत में वृद्धि होती जाती है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मोलभाव स्तर पर सुलझाने की आवश्यकता है। एक किसान होने के नाते मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारत इस प्रकार की नीतियों को बनाने में अच्छा है जो अयोग्य या अक्षम्य कम्पनियों के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए बेहतर है न कि किसानों के लिए।

– अजय वीर जाखड़

अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

श्री आशीष बहुगुणा, सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत की कृषि स्थिति पर अजय जाखड़ और परांजाय गुहा ठकुराता के साथ वार्तालाप का सारांश।

परांजाय गुहा ठकुराता (पीजीटी) – हम भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति पर कुछ सामान्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि सरकार किसानों की ओर बहुत कम ध्यान देती है। यद्यपि भारत देश के बारे में यह छाप बनी हुई है कि लोग गांव में रहते हैं तो भी कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में अंश कम हो रहा है और कृषि पर निर्भर लोगों का भाग भी कम होता जा रहा है। इसकी भारत में आशा नहीं थी। सबसे बड़ी बाधा यह है कि इस देश की आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर सीधे निर्भर है जबकि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होकर केवल 14 प्रतिशत रह गया है।

आशीष बहुगुणा – निःसंदेह कृषि क्षेत्र में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। हमें इस संदर्भ में अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैं इस मंत्रालय में काफी लंबे समय से हूँ। वर्ष 2002 से मैं संयुक्त सचिव था। लगभग 11 वर्ष पहले इस कृषि मंत्रालय का बजट आज के बजट का दसवां भाग था। आप इस क्षेत्र में सरकार के कार्यों को कैसे आंकना चाहते हो ? इनमें से एक तरीका, यद्यपि यह संपूर्ण उचित नहीं और शायद सही उपाय भी न हो, यह है कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र को कितनी निधियां उपलब्ध कराई गई, इसे देखा जाए। पिछले 11 वर्षों में इसमें 10 गुना वृद्धि की गई है जो किसी भी मायने में कम नहीं है।

पीजीटी – प्रत्येक वर्ष क्या यह दुगुनी हो रही है ?

आशीष बहुगुणा – मैं अंकगणित के संबंध में आश्वस्त नहीं हूँ न ही रेखागणित के अनुसार दुगुनी वृद्धि का अनुमान है। किंतु यह पिछले दस वर्षों में पर्याप्त मात्रा में बढ़ी है। क्या पिछली दो योजनाओं की अवधि की तुलना में इस योजना अवधि में कृषि की विकास दर में सरकार के इस प्रयास और अन्य प्रयासों से वृद्धि हुई है, इसे जांचने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में वास्तव में राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन देने को बढ़ाया गया है, ताकि कृषि की योजना लागत के अंश में उनका भाग बढ़ सके। ऐसा करने से कृषि क्षेत्र में राशि की मात्रा पर्याप्त बढ़ी है।

शायद इस पूरी राशि का उपयोग उतने कारगर ढंग से नहीं किया जा रहा है जैसे करना चाहिए किंतु निःसंदेह यह इसी क्षेत्र में खर्च हो रही है और लाभांश का भुगतान किया जा रहा है। फिर भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है और हम इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं।

31 मार्च, 2012 को समाप्त ग्यारवहीं योजना की अवधि में कृषि की औसत विकास दर 3.8 प्रतिशत है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र जिसमें मछली पालन का भाग 3.8 प्रतिशत शामिल है, में 3.64 प्रतिशत की विकास दर देखी गई है किन्तु वन उत्पाद और लोगिंग के कारण यह कम होकर 2.2 प्रतिशत रह गई। वन उत्पाद और लोगिंग में धीमी विकास दर कोई बुरी बात नहीं है, विशेषकर लोगिंग का भाग। अतः 2.5 और 2.4 प्रतिशत की तुलना में 3.8 प्रतिशत का विकास अच्छा है। यह आशा की किरण है जिसे देखने की आवश्यकता है। एक देश के रूप में उसका विश्लेषण करने पर हम कुछ निराश हो जाते हैं। यदि आप विस्तार में देखे तो पहले बहुत से राज्य पिछड़े माने जाते थे किन्तु मध्य–प्रदेश जैसे राज्य ने वास्तव में प्रगति की है। देश में अनाज का उत्पादन बढ़ा है और सिंचाई क्षेत्र में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

पीजीटी – मध्य–प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य कौन से हैं ?

आशीष बहुगुणा – छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, बिहार, झारखण्ड। सबसे अधिक विकास मध्य–प्रदेश राज्य ने किया है। झारखण्ड ने भी अच्छी प्रगति दर्शाई थी किन्तु अब यह राज्य एक संवेदनशील राज्य बन गया है जहाँ कार्य करना बहुत कठिन है। वास्तिवकता यह है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का भाग 14 प्रतिशत से कम है और 55 प्रतिशत से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर है जो वांछित परिणाम नहीं दे पाते हैं। यह कृषि क्षेत्र पर बोझ है कि इस पर अधिक संख्या में लोग निर्भर है क्योंकि इस क्षेत्र से बाहर उनके लिए अवसर बहुत कम है। संभव है कि सरकार कृषि से गैर कृषि क्षेत्र में अधिक लोगों को लाने के लिए बहुत कुछ कर सकती है जैसे गैर कृषि रोजगार अवसरों या शहरों में अवसरों को बढ़ाने के माध्यम से कृषि स्तर बढ़ाया जाए। मैं परिवर्तन (माईग्रेशन) को एक बुरा शब्द नहीं मानता हूँ।

पीजीटी – कृपया हमें माईग्रेशन पर आपके द्वारा बताए गए दो बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण दें। महात्मा गाँधी नेशनल रूरल इम्पलाईमेंट गारंटी एक्ट (एमएनआरईजीए) जैसे

कार्यकम का उद्देश्य वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में माईग्रेशन कम करना है विशेषकर फसलों के मौसम के समय। आप नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन के आँकड़ों को देखें।

आशीष बहुगुणा – मेरा मानना है कि माईग्रेशन को दो भागों में बॉटा जा सकता है। पहला मज़बूर माईग्रेशन जो परिस्थितियों के कारण करना पड़ता है और दूसरा स्वैच्छिक। नेशनल रूरल इम्पलाईमेंट गारंटी एक्ट (एनआरईजीए) ने वास्तव में मज़बूर माईग्रेशन की प्रवृति को कम किया है, जो एक अच्छी बात है।

पीजीटी – कृषि की व्यवहारिकता पर बात करने से पहले हम आपको इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। कृषि क्षेत्र 3.5 या 3.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, किन्तु अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे है, विशेषकर सर्विस सैक्टर।

शायद चालू वर्ष उद्योग के लिए बुरा वर्ष है क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 5 या 6 प्रतिशत के बीच ही है। कृषि की विकास दर अन्य आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में अभी भी कम है। कृषि का भाग कम होता जा रहा है और वास्तव में ऑटोमोबाईल और परिवहन क्षेत्र आज के दिन कृषि के 14 प्रतिशत अंक को पार करने वाला है, किन्तु ये क्षेत्र जनसंख्या के 10 प्रतिशत भाग को भी रोजगार नहीं दे पाते जबकि कृषि क्षेत्र ने आधी से अधिक जनसंख्या को रोजगार दे रखा है। यह ढांचागत समस्या है चलती रहेगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों जैसे सर्विसिज़, इण्डस्ट्रीज़ में उच्च गुणवत्ता का, उत्कृष्ट रोजगार देकर बदला जा सकता है ?

आशीष बहुगुणा – मैं आपके इस सवाल का जवाब अलग–अलग देना पसंद करूँगा। आज कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या में से एक समस्या यह है कि किसानों की जमीन के आकार का स्तर कम होकर 1.16 हेक्टेयर रह गया है जिसे आर्थिक रूप से अव्यवहारिक माना जाता है। सीमित भूमि होने से किसान महंगी फसलें उगाना चाहता है जिसके लिए औजारों और विपणन सुविधाओं की आवश्यकता होती है ये सुविधाएं हमारे देश में अभी पहुंच से बाहर हैं अथवा किसान चाहता है कि सीमित भूमि के लिए इतना अच्छा मकैनिज्म हो जिससे किसान इकट्ठे होकर एक समूह बना लें और उपलब्ध संसाधनों की सहायता से ही विपणन कर सकें। दुर्भाग्यवश इन दोनों में से कुछ भी उपलब्ध नहीं है और उनकी भूमि का आकार दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है।

पीजीटी – और आगे विभाजन (फैगमेंटेशन)।

आशीष बहुगुणा – और विभाजन करने से व्यक्तिगत किसान और मजबूर हो जाएंगे न केवल लाभ की दृष्टि से बल्कि सभी कृषि कार्यों की संगठनात्मक व्यवहारिकता से भी। अब हमें शायद अपनी भूमि की हानि का अध्ययन करने की आवश्यकता है। संभव है यह राजनीतिक दृष्टि से विपरीत हो क्योंकि देश की अधिकतम राजनीतिक पार्टियां और अधिकतम वर्ग इसके विरूद्ध है।

पीजीटी – आप राजनीतिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं और किसानों को घर बनाने के लिए भूमि और भूमि के छोटे–छोटे टुकड़े देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप भूमि के समेकन (कंसोलिडेशन) की बात कर रहे हैं।

आशीष बहुगुणा – बिलकुल वही।

पीजीटी – सामान्य रूप में यह मान लिया जाए कि ये कार्य भूमि सुधार के विपरीत हैं।

आशीष बहुगुणा – ये हैं, यह चलता रहेगा और मेरा विचार है कि कृषि को लाभकारी बनाने में यह एक प्रमुख बाधा है। नरेगा, उदाहरण के लिए, ने ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ा दी है। इस कारण उत्पादन की लागत बढ़ रही है।

अतः किसानों को अब अन्य विकल्पों को तलाशना होगा जैसे माइक्रो होलिडिंग्स का मैकानाइजेशन जो अत्यधिक कठिन है। इसका समेकन करना होगा। इस क्षेत्र के लिए कोई निर्धारित लाभकारी पैमाना तैयार करना होगा क्योंकि यह क्षेत्र भी अन्य क्षेत्रों से भिन्न नहीं है। आर्थिक कानून तैयार करना होगा और किसानों को अनिवार्य रूप में कार्य करने का सहायक वातावरण उपलब्ध कराना होगा। इसके बिना हम ये आशा करें कि कृषि क्षेत्र में स्वयं कोई चमत्कार होगा, किसानों को पर्याप्त लाभ होगा या प्रत्येक क्षेत्र में समृद्धि आएगी, इसके लिए केवल कमाना ही की जा सकती है।

अजय वीर जाखड़ – आपने कहा कि नरेगा के कारण मजदूरी बढ़ी है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का लगातार कहना है कि सिफारिशों के अनुसार मजदूरी बढ़ाने से कीमत नहीं बढ़ती है क्योंकि मूल्य बहुत अधिक हो जाएंगे और उपभोक्ता इससे प्रभावित होंगे।

आशीष बहुगुणा – मेरा विचार है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश को आपने समझा नहीं है। कृषि उत्पादन की लागत की गणना की जाती है। सिफारिश में केवल कृषि की लागत को ही शामिल किया हो, ऐसा आवश्यक नहीं। हो सकता है अन्य पहलुओं को भी समान रूप से या अधिक महत्व दिया हो किंतु उत्पादन की लागत प्रमुख कारण है। सामान्य रूप में कृषि की लागत के आंकड़े प्राप्त करने में तीन वर्ष का विलंब है। इसे हाल ही के मूल्य वृद्धि से बाहर कर दिया गया है, थोक मूल्य सूचकांक और अन्य प्रत्येक वस्तु जो वर्तमान लागत के आंकड़े देती हैं उनको पूर्ण रूप में कारण माना जाता है।

पीजीटी – कुछ लोगों के लिए मान लिया जाए आर्थिक सहायता एक बुरा शब्द है किंतु अधिक आर्थिक सहायता देने का कोई विकल्प जरूरी नहीं यदि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल जाए और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएं। खाद्यान्न के लिय यह कुछ सीमा तक लाभकारी हो सकता है किंतु उच्च प्रोटीन वाली वस्तुओं के लिए नहीं, क्योंकि उनमें उच्च मात्रा में खाद्य मुद्रा स्फीति देखने को मिलती है। आज खाने के

पदार्थों की आदतों में बदलाव हो रहा है, लोग अनाज कम खाते हैं और उच्च प्रोटीन वाली वस्तुएं अधिक जैसे; फल, सब्जियां, दुग्ध उत्पाद, कुक्कुट पालन (पोल्ट्री) आदि। हमने कई स्थितियों में देखा है जहां पर गरीबों की वास्तविक आय कम हो गई है क्योंकि खाद्य मुद्रा स्फीति अधिक है और किसान भी खुश नहीं है। यह आपके लिए खोने की स्थिति है और बहुत से लोगों का मानना है कि हाल ही के समय में सरकार की यह सबसे बड़ी असफलता है।

आशीष बहुगुणा – आप परिणाम दिखाई देने से क्या समझते हैं – और मैं दिखाई देने का अर्थ परामर्श देने से समझता हूँ – दिखाई देने का अर्थ है कि अन्य वस्तुओं के लिए भी जैसे बागवानी जिन्सें और अन्य के लिए खरीद वितरण मैकेनिज़्म की आवश्यकता है। मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि क्या यह सही रास्ता होगा। मेरा अपना विचार है और वास्तव में सरकार कर नहीं, कि ऐसा माहौल जिसके अंतर्गत एक ही जिन्स के खरीद मूल्य और वितरण मूल्य अलग हो तो उससे बाजार में बहुत ज्यादा विकार उत्पन्न होंगे।

यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए सरकार को प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह दो विपरीत वस्तुओं को मिलाने की कोशिश होगी। मेरा कहने का अर्थ यह है कि यदि आप किसी विशेष स्तर पर गेहूँ और .चावल की खरीद और वितरण करते हैं तो यह बहुत कम स्तर पर होगा.....

पीजीटी – मूल्य का दसवां भाग.....

आशीष बहुगुणा – इससे अर्थ व्यवस्था में उत्पन्न होने वाले विकारों का समाधान करना असंभव होगा इससे न केवल अस्थिर कृषि परम्परा की पुरानी पद्धति को बढ़ावा मिलता है बल्कि इससे लिकेज जैसी बुरी आदत को भी बढ़ावा मिलता है.....

पीजीटी – तो आगे कौन सा समाधान है ?

आशीष बहुगुणा – यह सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों से मुद्रा–स्फीति की दर ऊंची है और गरीबों के खाने की आदतों में भी परिवर्तन हुआ है और समय बदलने के साथ–साथ उनमें सुधार हुआ है विशेषकर फल और सब्जियों के उपयोग से अनाज का उपभोग कम होता जा रहा है। अगलें दस वर्षों में बागवानी, डेरी, मुर्गीपालन, पशुपालन जैसे क्षेत्रों का योगदान 40 से 45 प्रतिशत तक हो सकता है जबकि वर्तमान में कृषि सकल घरेलू उत्पाद में इनका भाग लगभग 35 प्रतिशत है। किन्तु, प्रत्येक घटनाएं घटित होने पर भी इस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है चाहे उस स्तर पर नहीं जिसकी हमने इच्छा की थी। पिछले 50 वर्षों में रहन–सहन के स्तर में गुणात्मक सुधार हुए हैं। इस संबंध में मैं अपने विचार दे सकता हूँ और आशा है कि आप भी उतने ही आश्वस्त होंगे। मैं जो अनाज खा रहा हूँ वह बदल चुका है। इसी प्रकार से गरीबों की खाने की आदतों में भी परिवर्तन हुआ है।

पीजीटी – मैं भी मानता हूँ कि हमारी खाने की आदतों में सुधार हुआ है किन्तु खाद्य मुद्रास्फीति से निर्धन किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ता है न कि अमीरों पर क्योंकि गरीब लोग अपनी आय का अधिकतम भाग अनाज पर खर्च करते हैं। वास्तव में खाद्य मुद्रास्फीति से असमानता और बढ़ती है।

आशीष बहुगुणा – मैं आपसे असहमत नहीं हूं किन्तु यह सब होने पर भी गरीब सबसे पहले अपनी आवश्यकता के अनुसार अनाज खरीदेगा और उसके बाद दालें, फिर फल और सब्जियां और अंत मे अंडे, मीट और मछली खरीदने की सोचेगा। खाने की वस्तुओं की एक परम्परा बनी हुई है जिसमें प्राथमिकता के अनुसार खाद्य वस्तुएं खरीदी जाती हैं। आपका कहना सही है कि मूल्य बढ़ने से खरीद शक्ति कम होती है किन्तु समय के साथ–साथ गरीब लोगों के द्वारा अनाज का उपयोग करने की पद्धति भी बदली है।

अजय वीर जाखड़ – सार्वजनिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की गति को लेकर किसान गंभीर रूप से चिंतित हैं। पिछले कई वर्षों से इसके परिणामों में कमी आई है और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों का मनोबल गिरा है। इनमें विस्तार करने के लिए पैसे की भी समस्या है। राज्य सरकारें चाहती हैं कि इनका विस्तार किया जाए किंतु उनके पास इतने भी संसाधन नहीं हैं कि अपने पास उपलब्ध ज्ञान को औरों को दे सकें।

आशीष बहुगुणा – ये दोनों अलग विषय हैं। हमें अनुसंधान की व्यवस्था अधिक कुशलता और कारगर ढंग से करनी होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) एक बहुत बड़ी संस्था है और इसके महानिदेशक को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाती है। अनुसंधान किया जा रहा है किंतु यह उतनी कुशलता या कारगर ढंग से नहीं हो रहा है कि इसे विभिन्न संस्थाओं में उसी फसल पर अनुसंधान की सहक्रिया के रूप में किया जाए। ऐसा नहीं हुआ है। जहां तक अनुसंधान बजट का संबंध है, इसमें पिछले दो तीन वर्षों में वृद्धि की गई है। इससे भी अधिक आवश्यकता अनुसंधान को व्यवस्थित करना है।

मनोबल बढ़ाने की दिशा में आप शायद अनुवांशिक आशोधित (जीएम) का उल्लेख कर रहे हैं और जैव तकनीकी मुद्दों का उल्लेख कर रहे हैं। जैव तकनीकी में सफलता नहीं मिल पाई है क्योंकि वहां पर पूरी तरह स्थायित्व है। हमारा पक्का विश्वास है कि जैव तकनीकी एक ऐसा औजार है जिसे हम उपयोग में ला सकते हैं और अपने लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।

हमारा स्पष्ट मानना है कि हम इसका पूरी तरह उपयोग उन क्षेत्रों में नहीं कर पाएंगे जिनमें करना चाहते हैं। हमारा ये भी स्पष्ट विचार है कि हम इसका सदुपयोग तभी कर पाएंगे जब पूर्णतः संतुष्ट हों, सबसे पहले इसकी सुरक्षा और इसके पश्चात् क्षमता। मैं नहीं समझता कि हमें अनुसंधान और विज्ञान को पीछे रखना चाहिए और सभी

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2012-14
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं० U(C)-92/2012-14
प्रकाशन की तिथि : 2 सितम्बर, 2013
नई दिल्ली पी.एस.ओ, नई दिल्ली–2,
तारीख 4 एवं 5, सितम्बर 2013

समस्याओं, चाहे वास्तविक या काल्पनिक, का समाधान अनुसंधान करने से पहले ही हो जाए। आप इस प्रकार से विज्ञान का रास्ता बंद नहीं कर सकते। यदि हम विज्ञान के क्षेत्र में कार्य नहीं करते हैं तो हमारी निर्भरता बढ़ती जाएगी। कई बार जीएम फसलों पर वाद–विवाद हो चुका है जो मुद्दे से मुद्दे पर होता है और उनमें से एक है कि जीएम साइंस वैद्य है या नहीं, या क्या यह सुरक्षित है। इस विवाद पर अन्य मुद्दे एकाधिकार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संबंधित है।

पीजीटी – अब कृषि में सार्वजनिक निवेश का रूझान उल्टा हो रहा है किन्तु निवेश की गुणवत्ता एक बड़ी समस्या है। इसका एक उल्लेखनीय मामला सिंचाई है। आज भी कुल फसलों के क्षेत्र का 60 प्रतिशत भाग वर्षा पर निर्भर है और बड़ी–बड़ी परियोजनाओं, बड़े बाँधों से समस्याएँ आ रही हैं क्योंकि ठेकेदार और राजनीतिज्ञ इन कार्यों से बड़ी राशि कमा रहे हैं। हम देख चुके हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और हम इसी प्रकार की बात करते हैं। प्रत्येक का मानना है कि इतनी बड़ी राशि से कई छोटी परियोजनाओं का बेहतर ढ़ंग से उपयोग हो सकता था। मेरा भी मानना है कि भारतीय कृषि की सबसे बड़ी कमी जल प्रबंधन न होना है।

आशीष बहुगुणा – बिल्कुल, और आप इसे समन्वय की कमी भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए पिछले कुछ समय से हम माइक्रो–इरिगेशन पद्धति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, यह पद्धति देश के शुष्क भागों में अत्यधिक लोकप्रिय है, विशेषकर कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और अब मध्य–प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी। यह पद्धति और भी लोकप्रिय बन सकती है यदि हम इन डिवाइसिज़ के माध्यम से उपजाऊ पद्धति (फर्टीगेशन) का प्रचार करें। मेरा मानना है कि इन डिवाइसिज़ में से आधे भाग का उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि वर्तमान में उर्वरक नीति के अन्तर्गत इस बात की अनुमति नहीं है कि जल–विलय (वॉटर सोल्युबल) उर्वरकों पर आर्थिक सहायता (सब्सिडी) दी जाए।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–24359509, 65650384, ई–मेलः contact@bks.org.in, वैबसाईटः www.farmersforum.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।